जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 221 वीं बैठक दिनांक 21.10.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या–1 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1, 2, 4 व 5 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी–I) से संबंधित है एवं एजेण्डा संख्या 2 से 5 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या– 3 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–II) से संबंधित है। जिसका कार्यवाही विवरण संबंधित अति. मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है:–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:–

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एम.एस. राठौड, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी–I)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–II) जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:–

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नरेश तंवर, उपायुक्त जोन–15, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती ऊषा जैन, सेवानिवृत सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

221 / 21.10.2014

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 220 वीं बैठक दिनांक 30.09.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सम्बन्ध में।

बीपीसी (एलपी) की 220 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2014 / डी–215 दिनांक 08.10.2014 को जारी किये जा चुके हैं। अतः जारी किये गये कार्यवाही विवरण की समिति द्वारा पुष्टि की गयी।

एजेण्डा–1

221 / 21.10.2014 (मा. प्लान)

विषयः– प्रारूप सेक्टर प्लान–72 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि सेक्टर–72 का पुनः परिक्षण कर बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जावें।

एजेण्डा संख्या–2

221 / 21.10.2014 (जोन–7)

विषय :– संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की ऑफिसर्स कैम्पस मैन में दर्शायी ऑनर्स लैण्ड के नियमन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व की उपायुक्त जोन स्तर से जांच की जावें एवम् स्वामित्व सही पाये जाने पर नियमानुसार समस्त शुल्क जमा करवाकर आवासीय नियमन कर दिया जावें।

एजेण्डा संख्या–3

221 / 21.10.2014 (जोन–12)

विषय :– संस्थानिक भूखण्ड का पुर्नगठन अनुमोदन हेतु।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व की उपायुक्त जोन स्तर से जांच की जावें एवम् स्वामित्व सही पाये जाने पर नियमानुसार समस्त शुल्क जमा करवाकर संस्थानिक पुनर्गठन किया जावें। पुर्नगठित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक है अतः नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें। प्रकरण में नियमानुसार पुनर्गठन शुल्क जमा करके राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पुनर्गठन का प्लान जारी कर दिया जावें।

एजेण्डा संख्या–4

221 / 21.10.2014 (जोन–12बी)

विषय :– निजी खातेदार की आवासीय योजना मंगलम् विहार ग्राम नीदड़ तहसील आमेर जिला जयपुर की योजना में शामिल गै.मु. रास्ते की भूमि के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या–5

221 / 21.10.2014 (जोन–14)

विषय :– ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर की निजी खातेदारी योजना आशादीप ग्रीन्स (मॉडल नं. 1) में आरक्षित ई.डब्लयू.एस. / एल.आई.जी. क्षेत्र के भूखण्डों में मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.05.2012 के क्रम में राजस्थान आवास विकास एवम् इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दिनांक 18.09.2012 को सहमति पत्र जारी किया है अतः जोन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1

221 / 21.10.2014 (जोन–14)

विषय :– सेक्टर प्लान–61 में कामधेनु नगर योजना के सामने 80 फीट सड़क के एलायन्मेन्ट के संशोधन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि सेक्टर–61 पर प्राप्त आपत्ति / सुझाव विचार योग्य नहीं है अतः कामधेनु नगर योजना के सामने 60 फीट चौडी सेक्टर रोड का एलायन्मेन्ट को पूर्व में बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 17.06.2014 में दिये गये प्रस्तावों अनुसार ही अनुमोदित किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2

221/21.10.2014 (मा. प्लान)

विषय :– मास्टर विकास योजना–2025 के प्रावधानों में कोचिंग सेन्टर के प्रावधान जोडे जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात एजेण्डा प्रस्तावों अनुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि यह मास्टर विकास योजना–2025 के वॉल्यूम–4 में कोचिंग सेन्टर के प्रावधान को जोडे जाने का प्रकरण है अतः प्रकरण को अभिशंषा के साथ प्राधिकरण की बैठक में रखा जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3

221/21.10.2014 (जोन–9)

विषय :– शिव शंकर हाउसिंग को–ऑपरेटिव सोसायटी की योजना लाजपत नगर के भूखण्ड संख्या 108 के नियमन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में 200 फिट सड़क व 30 फिट सड़क पर भूखण्ड का फ्रन्ट आता है। अतएव फ्रन्ट सैटबैक में किस स्तर तक छूट दी जावें, इस बाबत् राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–4

221/21.10.2014 (मा. प्लान)

विषय :– एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6318/11 जविप्रा बनाम श्रीमती विद्यावती कपूर बाबत के प्रकरण में केस को Withdraw किये जाने के कारण भूखण्ड सं. एफ.ए–138 (पुराना)/ए–413 (नया), एफ.ए.–137 (पुराना)/ए–414 (नया) एवं एफ.ए.–136 (पुराना)/ ए–415 (नया) का नियमन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या ए–413 व ए–414 पर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था जो अब समाप्त हो गया है व जोन के सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि भूखण्ड संख्या ए–415 पर कोई कोर्ट केस नहीं है। अतः समिति द्वारा तीनों भूखण्डों को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड संख्या ए–413 पर अनुमोदित मानचित्र पर पुराना भूखण्ड नं. 141 अंकित है व 138 पुराना पर 411 अंकित है अतः जोन द्वारा परीक्षण कर भूखण्ड संख्या की स्थिति स्पष्ट की जाकर मूल मानचित्र में तदानुसार संशोधित करते हुए प्रार्थी से इस भूखण्ड हेतु Indemnity Bond लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण जोन स्तर पर किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–5

221 / 21.10.2014 (जोन–7)

विषय :– ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 60, 61 व 138 में योगाश्रम सेवायतन, सार्वजनिक प्रन्यास तथा जय विश्वनाथ जनकल्याण ट्रस्ट को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रकरण में एजेण्डा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया व पत्रावली सीधे ही बीपीसी (एलपी) की बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। जोन के उपायुक्त द्वारा विस्तार से समिति को प्रकरण के तथ्यों एवं मौका स्थिति अनुसार सडक हेतु भूमि उपलब्ध होना अवगत कराया गया। समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि खसरा नं. 60, 61 व 138 का पूर्व में 60 रोड फीट मानते हुए पट्टा जारी किया जा चुका है। अतः कमिटमेन्ट मानते हुए सेक्टर प्लान में दर्शित 200 फीट चौडी रोड से एचटी लाईन के मध्य सडक को 60 फीट रखा जावें। तदानुसार सेक्टर प्लान में उक्त सडक को समायोजित किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

29.10.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / मा. प्लान / बीपीसी (एलपी) / 2014 / डी– 312
दिनांकः 29/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी एलपी (I / II) जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त, जोन–...............................जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

29.10.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।